16/9/10

न्यायालय असि0 कलेक्टर/उप जिलाधिकारी सिकन्दरा–रमाबाई नगर

वाद सं. – 3

धारा– 143 ज.वि.एवं भू.सु.अधि.
ग्राम– साकिन बुजुर्ग
परगना व तहसील– सिकन्दरा

मिथलेश कटियार बनाम इरशाद खाँ आदि।

नकल निर्णय दि० 20-9-2010

उपरोक्त वाद श्रीमती मिथलेश कटियार प्रबन्धक द्वारा छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति साकिन बुजुर्ग परगना व तहसील सिकन्दरा द्वारा धारा 143 ज.वि.एवं भू.सु.अधि. के अन्तर्गत दिनांक– 06.07.2010 को इस आसय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम साकिन बुजुर्ग के खाता संख्या 031 भूमि नं. 135 ब रकवा 3–030 हे0 मे से रकबा 1–024 हे0 भूमि छत्रपति शिवाजी महा विद्यालय साकिन बुजुर्ग द्वारा छत्रपति शिवाजी शिक्षा एव विकास समति द्वारा प्रबन्धक श्रीमती मिथलेश कटियार पत्नी कमलेश कुमार के नाम दर्ज है। वर्तमान समय में रकबा 1–024 हे0 पर विद्यालय का भवन एवं खेल कूंद का मैदान बना है। जिसमें खेती नहीं होती है, जिसे अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध चाहा गया है।

वाद दर्ज कर तहसीलदार सिकन्दरा से आख्या चाही गयी एवं पक्षों को नोटिस जारी की गयी तहसीलदार सिकन्दरा ने अपनी आख्या दिनांक– 04.09.2010 में कहा है कि ग्राम साकिन बुजुर्ग की गाटा सं. 135ब रकबा 3–030 हे0 भू–राजस्व 93.10 रुपये पर इरसाद खाँ पुत्र हिदायत खाँ निवासी ग्राम व छत्रपति शिवा जी महाविद्यालय साकिन बुजुर्ग तहसील सिकन्दरा जिला रमाबाई नगर द्वारा छत्रपति शिवाजी शिक्षा एवं विकास समिति द्वारा प्रबन्धक श्रीमती मिथलेश कटियार पत्नी कमलेश कटियार निवासी– बी 810 एम.आई.जी. विश्व बैंक कालोनी बर्रा, कानपुर नगर के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त गाटे के 1–024 हे0 रकबे पर उपरोक्त विद्यालय का भवन व क्रीडा स्थल बना है। जिसको एल.आर. एक्ट की धारा 143 ज.वि.एवं भू.सु.अधि. के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित करने की संस्तुति की है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की आख्या दिनांक– 04.09.2010 व पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया तथा ग्राम सभा नामित अधिवक्ता तथा इरशाद खाँ पुत्र हिदायत खाँ द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। प्रश्नगत भूमि का स्वरुप परिवर्तित हो चुका है तथा इमारत निर्मित है। यह कि सह खातेदार द्वारा अपनी अनापत्ति भी दी गयी है। जिसके आधार पर ग्राम साकिन बुजुर्ग की खतौनी वर्ष 1413–1418 फ0 के खाता संख्या 031 गाटा संख्या 135 ब रकवा 3–030 हे0 में से 1–024 हे0 को धारा 143 ज.वि.एवं भू.सु.अधि. के अन्तर्गत आकृषक भूमि घोषित किये जाने योग्य है। तहसीलदार सिकन्दरा की आख्या के साथ संलग्न नजरी नकशा व प्रारुप इस आदेश का भाग होगा।

आदेश

अतः ग्राम साकिन बुजुर्ग की खतौनी वर्ष 1413–1418 फ0 के खाता संख्या 031 गाटा संख्या 135 ब रकवा 3–030 हे0 में से 1–024 हे0 को धारा 143 ज.वि.एव भू.सु.अधि. के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार तहसील सिकन्दरा को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

ह० 20.9.10

असि. कलेक्टर/उपजिलाधिकारी
सिकन्दरा, रमाबाई नगर

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY दो रुपये TWO RUPEES

उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील सिकन्दरा–रमाबाई नगर

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA FOR COPYING FEES ONLY दो रुपये TWO RUPEES

उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट ★ तहसील सिकन्दरा-रमाबाई नगर ★

क्रमांक ... 123

नकल मांगने देने का दिनांक 21-9-2010

नकल मांगने देने वाले का नाम [illegible]

नकल बनाने का दिनांक ... 22-9-2010

नकल जारी करने का दिनांक ... 22-9-2010

नजर स्टाम्प 22-9-2010

13-00

सत्य प्रतिलिपि

22/9/10

अहलमद (माल)

उप जिलाधिकारी सिकन्द्रा

रमाबाई नगर

FOR COPYING FEES ONLY

INDIA

TWO RUPEES

ONE RUPEE